

राजस्थान सरकार

राजस्व गृह-6 विभाग

क्रमांक: प. 1585 राज-6/94/10

जयपुर दिनांक 26-5-04

अधिसूचना

राजस्थान पासबुक कृषि जोत संशोधन अधिनियम, 1994
अधिनियम संख्या-17 वर्ष 1994 की धारा-1 की उपधारा 2
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा
राजस्थान पासबुक कृषि जोत संशोधन अधिनियम, 1994
अधिनियम संख्या -17 वर्ष 1994 को अजमेर जिले की केकडी
तहसील में लागू करने के लिए दिनांक 1-6-2004 की तिथि
नियत करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

श्री. एस. मीणा

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य मंत्री / राजस्व मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, / प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
3. संभागीय आयुक्त, अजमेर।
4. जिला कलेक्टर, अजमेर।
5. पंजीयक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मय अतिरिक्त प्रति
6. निदेशक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जोधपुर को राजस्थान राज-पत्र
के विशेषांक असाधारण अंक दिनांक 26-5-04 में प्रकाशनार्थ
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव